

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय


:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04-02-2020

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1):: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" के विभागीय आदेश 05.06.2018 की कंडिका-2.2 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

"परन्तु, ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा रूपये 6.00 लाख से 7.50 लाख तक बढ़ने पर शुल्क का 75 प्रतिशत लाभ प्राप्त हो सकेगा। आय सीमा 7.50 लाख से अधिक होने पर लाभ की पात्रता नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

भोपाल दिनांक 04-02-2020

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।

निरन्तर...

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल दिनांक 28-05-2019

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1):: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" में विभागीय आदेश 05.06.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-3.5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रस्थापित की जाती है:-

राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) एवं पोलिटेनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना में अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ.एम.आर.धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

भोपाल दिनांक 28-05-2019

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।

5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
8. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
9. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल -462004

क्रमांक/4/शैक्ष./एमएमव्हीवाय/2018/300

दिनांक 19/06/2018

प्रति,

- | | |
|--|--|
| 1. आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग,
सतपुड़ा भवन, भोपाल | 4. आयुक्त,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
विध्यांचल भवन, भोपाल |
| 2. आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल | 5. आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएं,
सतपुड़ा भवन, भोपाल |
| 3. आयुक्त,
आयुष, बेसमेंट,
सतपुड़ा भवन, भोपाल | 6. संचालक,
पशुपालन विभाग, भोपाल |

विषय:- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के नवीन एकजाई संशोधित आदेश क्रमांक एफ-5-6/2017/42(1) दिनांक 05/06/2018 के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न चरणों के संबंध में दिशा निर्देश।

.....

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिये एकजाई संशोधित आदेश क्रमांक एफ-5-6/2017/42(1) दिनांक 05/06/2018 जारी किया गया है। जारी किये गये एकजाई संशोधित आदेश की प्रति एवं योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.mpachedu.org एवं एनआईसी के छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic.in पर उपलब्ध है। एकजाई संशोधित आदेश अनुसार योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरण तथा प्रत्येक चरण में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार है :-

- 1. पंजीयन (Registration) –** इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को सर्वप्रथम संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.mptechedu.org अथवा एनआईसी के छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कराना होगा। सफलतापूर्वक पंजीयन कराने के उपरांत विद्यार्थी को एक यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग आगामी चरण में विद्यार्थी को करना है।
- 2. आवेदन पत्र (Application Form) –** रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फार्म (आवेदन पत्र) में आवश्यक जानकारियां दर्ज करेगा तथा योजना के लाभ से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा। विद्यार्थी भरे हुये एप्लीकेशन फार्म (आवेदन पत्र) का प्रिन्ट-आउट प्राप्त कर सभी संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न कर प्रवेशित संस्था में प्रस्तुत करेगा।
- 3. सत्यापन (Verification) –** ऐसी संस्थाएँ जिन्हे संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश के स्तर से योजना में शामिल किया गया है; उन्हें सत्यापन प्रक्रिया के लिये यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड योजना के अधिकृत मेल dte.mmvy@mp.gov.in से संस्था के अधिकृत मेल पर प्रेषित किये जायेंगे अपितु संस्था को अपने अधिकृत मेल से dte.mmvy@mp.gov.in पर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश को अनुरोध मेल प्रेषित करना होगा। संस्था संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी एवं पासवर्ड को अपने स्तर से परिवर्तित कर सकेंगी। प्रथम बार यूजर आइडी एवं पासवर्ड उपयोग करते समय संस्था को संस्था के बैंक खाते की एवं आईएफएससी कोड की जानकारी आवश्यक रूप से प्रविष्ट करनी होगी। शासकीय संस्थानों की स्थिति में इसी बैंक खाते में लाभार्थियों की राशि प्राप्त होगी। जिसका परीक्षण कर संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्थानांतरित/समायोजित की जायेगी।

सत्यापन के लिये पूर्व से एनआईसी के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाएं अपने पूर्व से आवंटित यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ऐसी संस्थाये जो कि पोर्टल पर शामिल नहीं है परंतु नियमानुसार योजना के लिये पात्र है, वे योजना के अधिकृत मेल dte.mmvy@mp.gov.in पर अपना विस्तृत प्रस्ताव यथा

पाठ्यक्रम का नाम, अवधि इत्यादि के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत पात्रता होने पर उसे योजना में शामिल कर यूजर आई.डी एवं पासवर्ड योजना के अधिकृत मेल dte.mmvy@mp.gov.in से संस्था के अधिकृत मेल पर प्रेषित किया जायेगा। प्रथम बार यूजर आई.डी एवं पासवर्ड उपयोग करते समय संस्था को संस्था के बैंक खाते की एवं आईएफएससी कोड की जानकारी आवश्यक रूप से प्रविष्ट करनी होगी। शासकीय संस्थानों की स्थिति में इसी बैंक खाते में लाभार्थियों की राशि प्राप्त होगी। जिसका परीक्षण कर संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्थानांतरित/समायोजित की जायेगी।

पंजीकृत संस्थाएं उनकी संस्था में प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों का वेरीफिकेशन (सत्यापन) पोर्टल के माध्यम से करेंगी। वेरीफिकेशन (सत्यापन) के समय संस्थाएं निम्न जानकारियों का सत्यापन करेंगी :-

- (क) विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी है।
- (ख) विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6.00 लाख रुपये से कम है।
- (ग) विद्यार्थी ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- (घ) विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12 वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा आयोजित 12 वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
- (ङ) विद्यार्थी की प्रवेश परीक्षा की जानकारी (जो भी लागू हो) :-
 - (i) जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक धारण की है तथा बीई/बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।
 - (ii) राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।
 - (iii) CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

(iv) अन्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर केन्द्र शासन की एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाली चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश लिया है।

(v) स्वयं की प्रवेश परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय विधि संस्थान, नई दिल्ली अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

(च) विद्यार्थी को प्रतिवर्ष कितना शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशनमनी को छोड़कर) देय है।

(छ) विद्यार्थी ने देय शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशनमनी को छोड़कर) संस्था में जमा कर दिया है अथवा प्रवेश हेतु जमा किया जाना है।

(ज) विद्यार्थी के आधार लिंक बैंक खाते का विवरण, यदि विद्यार्थी ने प्रायवेट संस्था/अनुदान प्राप्त संस्था/प्रायवेट यूनिवर्सिटी के बी.ई./बी.टेक/एम.बी.बी.एस./उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। आधार लिंक खाते में राशि स्थानांतरण हेतु आधार की अधिकृत वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध विकल्प Check Aadhaar & Bank Account Linking Status के अंतर्गत खाता क्रमांक Active होना आवश्यक है। यह कार्यवाही विद्यार्थी द्वारा बैंक के माध्यम से स्वयं ही सुनिश्चित की जाना है।

(झ) शासकीय संस्थाओं के एमबीबीएस/बीडीएस एवं निजी संस्थाओं के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थी से शिक्षा उपरांत निश्चित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य का अनुबंध तथा इस हेतु निर्धारित राशि का बॉण्ड प्राप्त कर लिया है।

(त्र) विद्यार्थी के आधार कार्ड का विवरण सत्यापित कर लिया है।

इन जानकारियों के आधार पर संस्थाओं को उनके यहा प्रवेशित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देने के लिए सत्यापनकर्ता अधिकारी/संस्था को निम्न कार्यवाही करना है :

(i) पात्र विद्यार्थी की अनुशंसा करते हुए आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु अग्रेषित करना है।

(ii) विद्यार्थी से कुछ जानकारी की आवश्यकता के दृष्टिगत ऐसे प्रकरण को प्रावधिक रूप से अस्वीकार करना है। जिसके उपरांत विद्यार्थी पूर्व में भरी गई जानकारी को

संशोधित कर सकेंगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को अपना आवेदन पुनः लॉक एवं प्रिंट कर संस्था में जमा करना होगा।

(iii) अपात्र विद्यार्थी के आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से अस्वीकार करना है।

(iv) म0प्र0 के बाहर के प्रकरणों में पृथक गाईडलाईन जारी की गई है, जो कि पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तदनुसार कार्यवाही सत्यापनकर्ता अधिकारी/संस्था द्वारा सुनिश्चित करना स्वीकृति हेतु अनिवार्य है।

सत्यापनकर्ता अधिकारी/संस्था इस प्रकार सत्यापन उपरांत पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था को अग्रेषित करेंगी।

4. स्वीकृति (Sanction) – प्रत्येक संस्था के लिए एक स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्थाएं निम्नानुसार रहेंगी :-

(अ) मध्यप्रदेश स्थित समस्त शासकीय संस्थाएं – संस्थाओं में योजना के पात्र विद्यार्थियों के लिए शासकीय संस्था स्वयं ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था रहेगी।

(ब) मध्यप्रदेश स्थित प्रायवेट संस्थाओं/अनुदान प्राप्त संस्थाओं/प्रायवेट यूनिवर्सिटी में संचालित पाठ्यक्रमों में योजना के पात्र विद्यार्थियों के लिए –

■ जिस जिले में बीई/बीटेक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली प्रायवेट संस्था/अनुदान प्राप्त संस्था/प्रायवेट यूनिवर्सिटी स्थापित है, उस जिले अथवा समीपस्थ जिले में स्थापित एक शासकीय पॉलीटेक्निक संस्था स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था रहेगी।

■ जिस जिले में एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाली प्रायवेट संस्था/प्रायवेट यूनिवर्सिटी स्थापित है, उस जिले अथवा समीपस्थ जिले में स्थापित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था रहेगी।

- जिस जिले में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अनुदान प्राप्त संस्थाएँ स्थापित हैं, उस जिले में अथवा समीपस्थ जिले में स्थापित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था रहेंगी।

(स) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित सभी शासकीय एवं प्रायवेट संस्थाओं में योजना के पात्र विद्यार्थियों के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी रहेंगे।

संस्थाओं के समस्त प्रकरणों में संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी उनसे सम्बद्ध संस्थाओं से प्राप्त सत्यापित आवेदन पत्रों तथा सत्यापित शुल्क की छान-बीन करेंगे तथा योजना नियमानुसार उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा संवितरण हेतु अग्रेषित करेंगे। प्रकरण में स्वीकृत राशि की पूर्ण जवाबदारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था की रहेगी।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था सत्यापित आवेदन पत्रों को मय दस्तावेजों के संधारण करने के साथ-साथ स्वीकृत प्रकरण एवं अस्वीकृत प्रकरणों का रिकॉर्ड भी संधारित करेंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से प्रतिवर्ष स्वीकृत किये गए प्रकरणों का ऑडिट करवाये जाने की जवाबदारी भी स्वीकृतकर्ता अधिकारी/संस्था की होगी।

5. संवितरण (Disbursement) – समस्त प्रकरणों के लिये संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश संवितरणकर्ता अधिकारी रहेंगे। शुल्क वितरण के लिए संवितरणकर्ता अधिकारी के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) आवश्यक है, तथा इसे एनआईसी के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। संवितरण अधिकारी द्वारा बैंक में उपलब्ध राशि का समय-समय पर परीक्षण किया जायेगा तथा यथोचित राशि बैंक के खाते में स्वीकृति उपरांत स्थानांतरित की जायेगी।

संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से प्राप्त स्वीकृति एवं संवितरण अग्रेषण पत्रों पर संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश के संवितरणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए स्वीकृत राशि के ई-पेमेन्ट को डिजिटली हस्ताक्षरित करते हुए ई-पेमेन्ट आदेश जारी किया जायेगा। संवितरणकर्ता अधिकारी को उनके द्वारा जारी किये गये ई-पेमेन्ट आदेशों की निगरानी (Monitoring) भी करना आवश्यक होगा।

नोट - ई-पेमेन्ट जारी होने के पश्चात् एनआईसी एवं बैंक के माध्यम से स्वीकृत राशि संबंधित संस्था/विद्यार्थी के खाते में जमा होगी। राशि से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करने की जवाबदारी एनआईसी की होगी।

6. प्रक्रिया संक्षेपिका, सत्यापन, स्वीकृति एवं संवितरणकर्ता अधिकारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

44
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/4/शैक्ष./एमएमव्हीवाय/2018/

दिनांक /06/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मध्यप्रदेश स्थित समस्त शासकीय/स्वशासी/शासन द्वारा अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय/महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त आई आई टी संस्थान/ एन आई टी संस्थान/आई आई आई टी संस्थान/सी एफ टी आई संस्थान/समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त बीई/बीटेक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अन्य संस्थाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त एन एल यू संस्थान/एन.एल.यू. नई दिल्ली/दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मध्यप्रदेश स्थित समस्त संस्थानों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. केन्द्र शासन की एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाली चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. भारत सरकार के अन्य समस्त संस्थानों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 5210 -
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

Process Chart of
Mukhyamantri Medhavi Vidyartha Yojna

REGISTRATION	APPLICATION FORM	VERIFICATION	SANCTION					DISBURSEMENT
			S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	D-1
<p>Through Web Address: www.scholarshipportal.mp.nic.in or www.mptechedu.org. Candidate will get an User-ID and Password.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Using User-ID and Password received after registration, candidate will fill their Application Form and upload the necessary documents through portal. Candidates will Verify all the entries of filled Application Form, Lock it and take Print out of Filled Application Form. Admitted candidate will submit his printed Application Form alongwith all requisite documents at the institute for verification purpose. 	<ul style="list-style-type: none"> Respective institute will verify the submitted Application Form of the candidate against the original documents. Institute will also verify the aadhar enabled bank details of candidates in case of Private/Aided Institutions. Institute will recommend the eligible cases for sanction/ temporarily reject the application for correction/ permanently reject the application through portal by using Institute Verification-ID and Password. Outside M.P. institutions/ Candidates must follow the guidelines meant for outside cases that is available on www.scholarshipportal.mp.nic.in or www.mptechedu.org. 	<p>All Government institutes of M.P. will be sanctioning authority for eligible students admitted in their institutes through portal by using Institute Sanction-ID and Password.</p>	<p>Designated Government Polytechnic institute of the district will be sanctioning authority for Private and Aided institutions / Private Universities running B.E. / B. Tech. Course in the district through portal by using Institute Sanction-ID and Password.</p>	<p>Designated Government Lead College of Higher Education of the district will be sanctioning authority for Aided colleges of Higher education Department running Higher Education courses in the district through portal by using Institute Sanction-ID and Password.</p>	<p>Designated Government Medical Colleges will be sanctioning authority for Private institutions / Private Universities running M.B.B.S. Course in the district or nearby district through portal by using Institute Sanction-ID and Password.</p>	<p>Directorate of Technical Education, M.P. will be sanctioning authority for Central Government Universities/ institutions and B.E. / B. Tech. course running in Private and Aided institutions / Private Universities situated outside MP through portal by using DTE Sanction-ID and Password.</p>	<p style="text-align: center;">Directorate of Technical Education, M.P. will be disbursing authority for all the cases.</p>

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

: : संशोधित एकजाई आदेश : :

भोपाल दिनांक 05-06-2018

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1): : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश 12 जून 2017, संशोधित आदेश दिनांक 31.7.2017, 24.8.2017, 30.8.2017, 5.9.2017 एवं 18.5.2018 को संशोधित स्वरूप में एकीकृत करते हुये एकजाई आदेश निम्नानुसार निर्गत किया जाता है:-

2. पात्रता की शर्तें:-

- 2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा
- 2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा।
- 2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बांरहवी की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई/आईएससीएसआई द्वारा आयोजित बांरहवी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.5 तक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तथा जिन्होंने वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किये हैं, भी इस योजना में पात्र होंगे।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

- 3.1 इंजीनियरिंगक्षेत्र:- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-
 - a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

- b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।
- 3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉन्ड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की राशि रूपये 25 लाख होगी।
- 3.3 **विधि की पढ़ाई :-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- 3.4 भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- 3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।



योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें -

- 4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।
- 4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।
- 4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।
- 4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे।

5. योजना का क्रियान्वयन -

- 5.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू की गई है। संशोधित स्वरूप शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगा।
- 5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा। इस हेतु योजना पर हुए व्यय का 03 प्रतिशत किन्तु प्रथम वर्ष के लिए रुपये 15 करोड़ निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित होगा।



इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5. संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।
- 5.6 ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।
6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव


मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

तिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव माननीय मंत्रीजी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव प्रमुख सचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल।
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

Ph 0755-2576751, Fax 0755-2552219, Website:www.mptchedu.org,

E-Mail:dtemp.bpl@mp.gov.in

क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018/ 190

भोपाल, दिनांक...../04/2018

:आदेश:

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रावधान/प्रक्रिया लागू की जाती है :-

(अ) ऐसे आवेदक जो शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पूर्ण राशि हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकें हैं, वह शेष राशि हेतु अपना द्वितीय आवेदन अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से इस आशय हेतु मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के द्वारा प्रथम आवेदित राशि बैंक खाते में प्राप्त होने के उपरांत ही प्रस्तुत कर सकते हैं। द्वितीय आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से यह प्रक्रिया उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी अर्थात् आवेदक को पूर्ण वर्ष की राशि हेतु अपना एकल आवेदन ही प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने की ही पात्रता होगी।

(ब) ऐसे आवेदक जिन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है अर्थात् जिनकी राशि संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा डिस्वर्स की जा चुकी हैं, ऐसे आवेदक प्राप्त राशि अपने बैंक खाते/संस्था के बैंक खाते के माध्यम से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पंजाब नेशनल बैंक खाता क्रमांक 6310000100005325, IFSC Code-PUNB0631000 में स्थानांतरित कर अपना आवेदन अनलॉक करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस खाते में नगर राशि जमा किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस हेतु राशि स्थानांतरित होने के उपरांत स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन एवं पासवर्ड पर से "रिकवरी" विकल्प के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनलॉक किये जा सकेंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी आवेदन अनलॉक किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक से प्राप्त राशि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के खाते में स्थानांतरित हो चुकी है। अनलॉक होने के उपरांत आवेदन पत्र में परिवर्तन कर अन्य संस्था/पाठ्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का आवेदन जमा कर सकेगा। या अन्य योजना/छात्रवृत्ति के लिये अपना आवेदन परिवर्तित कर सकेगा।

- (स) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदक जिनका भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में किया जाना है, उनके आधार की जानकारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में अपडेट होना आवश्यक है। यह कार्यवाही आवेदक द्वारा स्वयं ही अपने बैंक के माध्यम से सुनिश्चित की जाना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में बैंक खाते आधार लिंक हैं या नहीं इसका परीक्षण आवेदक द्वारा आधार की अधिकृत वेबसाइट www.uidai.gov.in में उपलब्ध विकल्प Check Aadhaar & Bank Account Linking Status के माध्यम से किया जा सकता है।



संचालक, तकनीकी शिक्षा

 मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक...24.../04/2018

पृ. क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018/191

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. श्री प्रकाश राव, अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ की उपरोक्तानुसार पोर्टल में प्रावधान करने का कष्ट करें।
3. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, ई.पी.सी.ओं , शाखा, पर्यावास परिसर, भोपाल म0प्र0 की ओर इस आशय के साथ की उक्त खाते में नगद राशि जमा नहीं किये जाने हेतु आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करें।
4. समस्त सत्यापनकर्ता एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों एम.एम.व्ही.वाय. योजना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संचालक, तकनीकी शिक्षा

 मध्यप्रदेश

पात्रता सम्बन्धी प्रश्न

प्रश्न - 01 क्या मध्यप्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य के निवासी विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

उत्तर - जी नहीं। यह योजना केवल मध्यप्रदेश राज्य के निवासी विद्यार्थियों के लिए ही लागू है।

प्रश्न - 02 मेरे द्वारा पूर्व वर्ष में इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया था। अब मैंने किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस वर्ष पुनः प्रवेश प्राप्त किया है। क्या अब मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर- योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत योजना का लाभ केवल एक ही पाठ्यक्रम हेतु लिया जा सकता है। यदि आपके द्वारा पूर्व में लाभ लिया जा चुका है तो आप अन्य सत्र में योजना हेतु पात्र नहीं हैं।

प्रश्न - 03 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - इस योजना का लाभ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा।

प्रश्न - 04 CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं?

उत्तर - यह योजना CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।

प्रश्न - 05 मैंने वर्ष 2018 के पूर्व बारहवीं कक्षा की परीक्षा 75 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से पास की है। क्या मैं योजना से लाभ प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर - जी हाँ। किन्तु योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करना आवश्यक है।

प्रश्न - 06 क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं?

उत्तर - जी हाँ। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थी ले सकते हैं।

- प्रश्न - 07** क्या इस योजना का लाभ स्वाध्यायी छात्रों को भी मिल सकता है?
- उत्तर - जी हाँ, इस योजना का लाभ स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये भी लागू है।
- प्रश्न - 08** मैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2017 के पूर्व ही उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश ले चुका था। क्या अब मुझे योजना से लाभ प्राप्त हो सकता है?
- उत्तर - जी नहीं। यह योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हुई है अतएव वर्ष 2017 के पूर्व प्रवेश प्राप्त कर चुके विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं हैं।

इंजीनियरिंग सम्बन्धी प्रश्न

- प्रश्न - 09** मैंने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?
- उत्तर - जी हाँ। आप से योजना का लाभ JEE MAINS उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं यदि आपकी रैंक 1 लाख 50 हजार के अन्दर हो। अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।
- प्रश्न - 10** क्या जे.ई.ई. मेंस परीक्षा में 1 लाख 50 हजार से बाहर की रैंक वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?
- उत्तर - जी नहीं।
- प्रश्न - 11** क्या मुझे निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर इस योजना की पात्रता होगी?
- उत्तर - यदि आपकी JEE MAINS में रैंक 1 लाख 50 हजार से कम है एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो रुपये 1 लाख 50 हजार अथवा वास्तविक शुल्क (जो भी कम हो), इस योजना अंतर्गत दिया जायेगा। शासकीय महाविद्यालय में वास्तविक शुल्क दिया जायेगा।

मेडिकल सम्बन्धी प्रश्न

प्रश्न - 12 मैंने नीट (NEET) की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर - जी हाँ, आप इस योजना का लाभ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए नीट (NEET) उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं। अन्य सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।

प्रश्न - 13 क्या शासकीय एवं प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बाण्ड भरना अनिवार्य है?

उत्तर - जी हाँ, इस योजना का लाभ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए लेने पर बाण्ड भरना अनिवार्य है। बाण्ड की शर्तों हेतु विस्तृत एकजाई आदेश दिनांक 18/05/2018 का अवलोकन किया जा सकता है।

प्रश्न - 14 क्या बी.डी.एस. में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में योजना की पात्रता नहीं होगी।

प्रश्न - 15 क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। नीट (NEET) के अतिरिक्त केन्द्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं, में प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

विधि शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न

प्रश्न - 16 मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर - जी हाँ, आप इस योजना का लाभ (CLAT) उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं, परन्तु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न - 17 क्या मैं विधि से संबंधित (CLAT) परीक्षा के अतिरिक्त परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित किसी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिये पात्र हूँ?

उत्तर - हाँ, संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से केवल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।

अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रश्न

प्रश्न - 18 क्या इस योजना में भारत सरकार के समस्त संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इयूल डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स में प्रवेश लेने पर लाभ मिलेगा?

उत्तर - जी हाँ, परन्तु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न - 19 क्या म.प्र. के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित बी.एस.सी, बी.ए, बी.काम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - म.प्र. के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों को योजना में सम्मिलित किया गया है। किन्तु निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिये यह योजना लागू नहीं है।

प्रश्न - 20 क्या पोलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - जी हाँ। पोलिटेक्निक कॉलेज में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर प्रवेशित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी योजना में नियमानुसार सम्मिलित हैं।

प्रश्न - 21 क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - जी नहीं।

प्रश्न - 22 क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - निजी क्षेत्र के केवल इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बीटेक/बीई पाठ्यक्रम एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये योजना नियमानुसार लागू हैं। शेष निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में संचालित शेष पाठ्यक्रमों के लिये यह योजना लागू नहीं हैं।

आवेदन प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न

प्रश्न - 23 योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार अप्लाई करना होगा?

उत्तर - अगर आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो www.scholarshipportal.mp.nic.in या www.mpachedu.org पर जाकर प्रथमतः रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके उपरांत प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से पोर्टल पर ही आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। तत्पश्चात् भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित संस्था को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित संस्था द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर पोर्टल पर सत्यापन, स्वीकृति एवं संवितरण की कार्यवाही उपरांत आपको नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त होगा।

प्रश्न - 24 आवेदन के लिये किन दस्तावेजों की उपलब्धता अभ्यर्थी के पास आवश्यक हैं?

उत्तर -

- मध्यप्रदेश का निवासी प्रमाण-पत्र
- 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंक सूची
- आय प्रमाण-पत्र
- आधार नम्बर
- अनुदान प्राप्त/निजी विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में प्रवेश के प्रकरण में आधार लिंक बैंक खाता
- मदवार फीस का विवरण एव रसीद

प्रश्न - 25 क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरा आधार नंबर एवं बैंक खाता आवश्यक है?

उत्तर - इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का आधार नंबर आवश्यक है। आवेदन पत्र में विद्यार्थी के बैंक खाते की प्रविष्टी का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न - 26 क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरे बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है?

उत्तर - जी हाँ।

प्रश्न - 27 क्या हमें इस योजना में आवास और खाने का पैसा भी दिया जायेगा?

उत्तर - योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थानों को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न - 28 क्या प्रथम आवेदन में पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शेष राशि हेतु द्वितीय आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है?

उत्तर - ऐसे आवेदक जो शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पूर्ण राशि हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, वे शेष राशि हेतु अपना द्वितीय आवेदन अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के द्वारा प्रथम आवेदित राशि बैंक खाते में प्राप्त कर लेने के उपरांत ही प्रस्तुत कर सकते हैं। द्वितीय आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी।

प्रश्न - 29 क्या योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरांत भी आवेदन पत्र को अनलॉक करवाकर अन्य संस्था पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है?

उत्तर - ऐसे आवेदक जिन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है अर्थात् जिनकी राशि संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा डिस्पर्स की जा चुकी है, ऐसे आवेदक प्राप्त राशि अपने बैंक खाते/संस्था के बैंक खाते के

माध्यम से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पंजाब नेशनल बैंक खाता क्रमांक 6310000100005325, IFSC Code - PUNB0631000 में स्थानांतरित कर अपना आवेदन अनलॉक करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस खाते में नगद राशि जमा किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस हेतु राशि स्थानांतरित होने के उपरांत स्वीकृतकर्ता अधिकारी की लॉगिन एवं पासवर्ड पर से "रिकवरी" विकल्प के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनलॉक किये जा सकेंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी आवेदन अनलॉक किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक से प्राप्त राशि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के खाते में स्थानांतरित हो चुकी है। अनलॉक होने के उपरांत आवेदन पत्र में परिवर्तन कर अन्य संस्था/पाठ्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का आवेदन जमा कर सकेगा या अन्य योजना छात्रवृत्ति के लिए अपना आवेदन परिवर्तित कर सकेगा।

प्रश्न - 30 आधार लिंक खाते में राशि प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है?

उत्तर - मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदक जिनका भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में किया जाना है, जिनके आधार की जानकारी नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में अपडेट होना आवश्यक है। यह कार्यवाही आवेदक द्वारा स्वयं ही अपने बैंक के माध्यम से सुनिश्चित की जाना है। नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में बैंक खाते आधार लिंक है या नहीं इसका परीक्षण आवेदक द्वारा आधार की अधिकृत वेबसाइट www.uidai.gov.in में उपलब्ध विकल्प Check Aadhaar & Bank Account Linking Status के माध्यम से किया जा सकता है।

Directorate of Technical Education, Madhya Pradesh

Process Chart of Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojna

REGISTRATION

Through Web Address: www.scholarshipportal.mp.nic.in or www.mptechedu.org.
Candidate will get an **User-ID and Password**.

APPLICATION FORM

- Using **User-ID and Password** received after registration, candidate will fill their Application Form and upload the necessary documents through portal.
- Candidates will Verify all the entries of filled Application Form, Lock it and take Print out of Filled Application Form.
- Admitted candidate will submit his printed Application Form alongwith all requisite documents at the institute for verification purpose.

VERIFICATION

- Respective institute will verify the submitted Application Form of the candidate against the original documents. Institute will also verify the aadhar enabled bank details of candidates in case of Private/Aided Institutions.
- Institute will recommend the eligible cases for sanction/ temporarily reject the application for correction/ permanently reject the application through portal by using **Institute Verification-ID and Password**.
- Outside M.P. institutions/ Candidates must follow the guidelines meant for outside cases that is available on www.scholarshipportal.mp.nic.in or www.mptechedu.org.

SANCTION

All Government institutes of M.P. will be sanctioning authority for eligible students admitted in their institutes through portal by using Institute Sanction-ID and Password .	Designated Government Polytechnic institute of the district will be sanctioning authority for Private and Aided institutions / Private Universities running B.E. / B. Tech. Course in the district through portal by using Institute Sanction-ID and Password .	Designated Government Lead College of Higher Education of the district will be sanctioning authority for Aided colleges of Higher education Department running Higher Education courses in the district through portal by using Institute Sanction-ID and Password .	Designated Government Medical Colleges will be sanctioning authority for Private institutions / Private Universities running M.B.B.S. Course in the district or nearby district through portal by using Institute Sanction-ID and Password .	Directorate of Technical Education, M.P. will be sanctioning authority for Central Government Universities/ institutions and B.E. / B.Tech. course running in Private and Aided institutions / Private Universities situated outside MP through portal by using DTE Sanction-ID and Password .
--	--	---	---	---

DISBURSEMENT

Directorate of Technical Education, M.P. will be disbursing authority for all the cases.

Standard Operating Procedure for Effective, Rule-based and Transparent implementation of Mukhyamantri Medhavi Vidhyarti Yojana

A Government of Madhya Pradesh initiative

Implementation by

Directorate of Technical Education, GoMP

Technical Partner



Submitted by :

**DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
BHOPAL**

Version 1.3



1. Objectives

To design, develop and facilitate an online, work-flow based platform so as to facilitate online collaborative functioning by various stakeholders and ensure rule-based, transparent and effective implementation of the scheme.

2. Service level expectation from the system

The system must allow the Sanction and disbursal of the amount to the eligible within 3 working days of online submission of the proposal by the concerned college / institute.

3. Stakeholders

1. Meritorious Students (as per the definition of the scheme and revisions thereafter)
2. Institutes (eligible as per the definition of the scheme)
3. Scholarship Verification Officers as designated by the institute
4. Offices / Colleges designated as Sanctioning Authority by the department
5. Officers / Colleges designated as Disbursal Authority by the department
6. Scheme PMU cell of Directorate of Technical Education
7. NIC - ICT solution Provider
8. Nodal Bank - for processing Digitally Signed e-Payment Orders

4. Pre-requisites

Department

1. Register all Institutions & their Courses as eligible under the scheme
2. Issue credentials for all institutes in Step #1. Institutes operational within MP State already have a username and password .
3. Identify, Register and Train all Sanctioning Authorities.
4. Issue credentials for all Sanctioning Authorities in Step #3.
5. Map All Institutions to a relevant Sanctioning Authority.
6. Identify, Register and train Disbursing Authority on issuing Digitally Signed ePayment Orders.
7. Issue credentials for Disbursing Authority in Step #6.
8. All Sanctioning Authorities are to be mapped to the Disbursing Authority.
9. Ensure Disbursing Authority have a valid Digital Signature Certificate (DSC) and are sensitized on the use of the DSCs.
10. The Sanctioning and Disbursing Authorities are sensitized for the prompt disposal of all Scholarship proposals requesting scholarships.

Functions of Institutions

1. Will register their bank account for receiving the scholarship amount (only in case of Government Institutes)
2. Will create awareness amongst the students on the scheme
3. Will facilitate the eligible students for registration of their applications for seeking the benefit under the scheme
4. Will verify the application of the students against the original documents, Aadhar Number, their bank account details linked with their Aadhar Number and other important information that decide the eligibility and entitlement of the student for the scheme.
5. Will also record the following cases:
 - a. The fee has been paid by the student
 - b. The fee has NOT been paid by the student
6. Will verify the application forms registered by the students
 - a. Recommend the eligible cases for sanction of benefit
 - b. Temporarily reject the applications that needs to be corrected
 - c. Permanently reject the cases which are fake, non-eligible are to be blocked
7. Will print the scholarship sanction recommendation proposal and keep in the office record after signature and stamp of the institute/Officer. The online generated scholarship sanction recommendation proposal will be available on the portal for Sanction Authority.
8. Will follow the guideline available on portal for outside M.P. candidates and send requisite documents to DTE for sanction.
9. Will refund the amount to the students, if the fee is already paid by the student, in cases of Government institutions.

Sanctioning Authorities (SA)

1. Sanction Authority has to be responsible office / officer.
2. List of sanctioning authorities for various colleges will be displayed in public domain.
3. Proposed Sanctioning Authorities:
 - a. All Government institutes operating in MP will be designated to function as Sanctioning Authorities for students registered in their institutes
 - b. For all Government Aided/ Private institutions situated in Madhya Pradesh, one Institute at district/nearby district level (As the case may be) will be designated as the Sanction authority.
 - c. DTE PMU will be designated as the Sanction authority for all institutions situated outside the Madhya Pradesh State.
4. The Sanction Authority will ensure they are aware of all Institutions which are mapped to them for granting Sanctions.
5. The Sanction Authority will scrutinize the applications recommended by the Institutes and sanction the amount to be disbursed and forward for disbursement.
6. The Sanction Authority will print the scholarship disbursement recommendation proposal and keep in the record after signature and stamp of the institute/Officer. The online generated scholarship disbursement recommendation proposal will be available on the portal for Disbursement.
7. The SA will maintain the records of all sanctioned cases and rejected cases.

8. The SA will be responsible for yearly audit of sanctioned cases.

Disbursement Authority

1. List of Disbursal authorities for various sanctioning authorities will be displayed in public domain.
2. Proposed Disbursal Authorities
 - a. The work of disbursal authority is very sensitive as s/he will be responsible for Digitally Signing the ePayment Order for ePayment.
 - b. DTE PMU will be designated as the Disbursal authority for all institutions.
3. Ensure they are aware of all Sanctioning Authorities which are mapped to them for disbursal of sanctioned amount.
4. Have a valid Digital Signature Certificate (DSC) with them.
5. They have registered the DSC with the Scholarship Portal.
6. Process sanction orders for disbursal of sanctioned amount and initiate e-Payment by digitally signing the e-Payment order.
7. Track the Status of e-Payment

Nodal bank:

Will facilitate end to end integration with the MMVY Portal. It will allow the MMVY portal to electronically share the digitally signed payment file with the banking system in a secure and trustworthy manner for Aadhar and Account based transactions. The banking system will acknowledge the file to the MMVY Portal and process the file within 1 working day. The banking system will provide response i.e. beneficiary account credit date, time, amount, transaction number against teach payment request, in case of successful payment and reason code for rejection, in case of rejection. Bank will also provide a Online dashboard and reports for online monitoring and reconciliation of the payments orders.

Process Flow

Registration of Students

1. All Students who intend to avail Scholarships under the ambitious Chief Minister's Meritorious Students Schemes need to register on the online portal.
2. The registration would include the
 - A. Demographic Profile
 - i. Student's First name, Last Name
 - ii. Father's Name
 - iii. Name of the Board through which the Student qualified Class 12th
 - iv. Roll No in the Class 12th Examination, Percentage
 - v. Aadhaar No
 - vi. Gender
 - vii. Category
 - viii. Date of Birth
 - ix. Address

- B. Contact
 - i. Current Residential Address
 - ii. Permanent Address
 - iii. Email Address
 - iv. Mobile No of the Student
 - v. Alternate Mobile No of the Student
 - vi. Mobile No of the Parent/ Guardian
- C. Academic
 - i. Name of the Institution
 - ii. Course
 - iii. Course year
3. Student will also upload the scanned copy of the specified documents on the portal .
4. Student will be allowed to edit the application.
5. He will have to lock and forward his application to the Institute online.
6. A Student would then be required to submit the form to the Institute in a physical form along with the supporting documents for the first year. For subsequent course years, he may be required to submit the additional documents through student login-ID and password. Each application form would have a identifier which would help the Institute to process the application.

Verification

1. An Institute would receive the physical copy of the application form and stamp the receipt attached with the form for the student.
2. The identifier in the physical form will be used to authenticate the request for processing of the application.
3. An Institute would examine the application from the student and may choose the following action
 - a. Reject the application Permanently: The action is taken if any information in the form after examination disqualifies the student from availing the scheme and the student is NOT eligible for the scheme as per the definition of the scheme . This action prevents the student from availing the scheme even if he/ she re-applies or modifies his/ her existing application.
 - b. Reject the application Temporarily: The action is taken if any information in the form is inconsistent or in-coherent with the academic record of the student at the institute and needs updation. If an application is temporarily rejected he/ she can modify his/ her application subsequently, submit the modified application to the institute.
 - c. Forward the application to the Sanctioning Authority: This action is taken if the information in the form is consistent with the academic record of the student and the student is eligible for the scheme as per the scheme definition.
4. The institute needs to choose any of the 3 actions listed above within 1 working day of the receipt of the online form.
5. If the institute is a Government Institution then it would furnish its own account details for receiving fees. In case of private institute the amount will be transferred into the Aadhar link bank account of the students.

Sanctioning Process

1. The Sanctioning Authority would examine the online application and exercise due diligence.
2. The Sanctioning Authority would examine the application form of the student and may choose the following action
 - A. Reject the application Permanently: The action is taken if any information in the form after examination disqualifies the student from availing the scheme. This action prevents the student from availing the scheme even if he/ she re-applies or modifies his/ her existing application. Ex: 1. The institute is barred or black listed. 2. The student is not meritorious in the qualifying examination.
 - B. Reject the application Temporarily: The action is taken if any information in the form is inconsistent or in-coherent with the academic record of the student at the institute. If an application is temporarily rejected he/ she can modify his/ her application subsequently, submit the modified application to the institute.
 - C. Sanction the application and forward for disbursement: This action is taken if the Sanctioning Authority is satisfied with the information in the form and intends to initiate payment of the Scholarship to the Student.
3. The Sanctioning Authority needs to choose any of the 3 actions listed above within 1 working day of the actual receipt of the form. The Sanctioning Authority will Sanction the amount to be disbursed and forward for e-payment.

Disbursement

1. The Disbursing Authority will register its Digital Signature on portal
2. The Authority would digitally sign the system generated e-Payment order
3. The Portal will automatically push the digitally signed e-Payment Order to the bank server for processing at a regular frequency.
4. The Disbursal Authority needs the above action within 2 working day of the sanction of the scholarship.

Alerting System

A start of art alerting system has to be implemented so as to keep the student / applicant updated on various actions being taken by the different authorities on his application.

1. Voice Call Alert System: A voice Call Alert System will be designed and implemented on portal. The system will initiate a call to the registered phone number of the student updating him on the Status of his application and action taken. The student will get a call on his registered phone. Once, he picks up the call a pre-recorded message will be played.
2. SMS alert will be sent to the applicant for each action and stage of the application processing.